

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।  
पत्रांक—1683 FP/UK/ OTHERS/21811/2016 देहरादून:दिनांक: 24 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषयः— जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर, कोसी नदी में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु 0.9488 हेठा वन भूमि  
का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल सशाधन विकास एवं निर्माण निगम को 30 वर्षों  
लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन फाईल संख्या FP/UK/OTHERS/21811/2016)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र  
संख्या—MISC/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी  
की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम,  
1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः—यथोपरि।

भवदीय,

1683  
(विनोद कुमार) 16/16  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 1683 FP/UK/ OTHERS/21811/2016 दिनांकित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1683  
(विनोद कुमार) 16/16  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी